

यूजीसी रेगुलेशन-2018 (संशोधन) नयिमावली को मंजुरी

चर्चा में क्यों?

13 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने यूजीसी रेगुलेशन-2018 (संशोधन) नयिमावली को मंजुरी प्रदान कर दी है।

प्रमुख बंदि

- इस संशोधति नयिमावली के स्वीकृत होने से शक्तिषकों, पदाधकिारयिों व प्राचार्य की नयुक्ति व प्रोननतकि न्यूनतम अरहता तय हो गई है।
- वशि्वविदियालों में अससिटेड प्रोफेसर की नयुक्ति में नैक ग्रेडिंग के आधर पर पीएचडी प्वाइंट की अनविार्यता समाप्त हो गयी है। ऐसे में अससिटेड प्रोफेसर की नयुक्ति में अधकि से अधकि युवाओं की भागीदारी सुनशिचति हो सकेगी।
- पहले 1 से 100 एनआईआरएफ रैंकिग वाले या ए/ए प्लस/ए प्लस प्लस संस्थान से पीएचडी करने पर 30 प्वाइंट निर्धारति थे। इससे झारखंड के विदियार्थी पछिड़ रहे थे।
- अससिटेड प्रोफेसर की नयुक्ति के लयि अब झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखंड पातरता परीक्षा (जेट) का आयोजन कयि जाएगा।
- इसके अलावा एक जुलाई 2023 तक जो नेट पास रहेंगे, वे अससिटेड प्रोफेसर की नयुक्ति के लयि योग्य होंगे, लेकनि दो जुलाई 2023 से जो भी नेट पास होंगे, उन्हें पीएचडी करना अनविार्य होगा। तभी वे अससिटेड प्रोफेसर की नयुक्ति के योग्य होंगे।
- इसी प्रकार 6 अगस्त 2021 से जो प्राचार्य बने हैं, वे पाँच वर्ष के बाद सीधे प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकनि जो प्राचार्य पुनः प्राचार्य के पद पर ही रहना चाहते हैं, तो उन्हें अगले पाँच वर्ष के लयि झारखंड लोक सेवा आयोग से स्वीकृति लेनी होगी। प्राचार्य के लयि अभ्यर्थी को कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर होना होगा।
- वशि्वविदियालय अधकिारी की नयुक्ति में सीनियर स्केल के रूप में कम से कम 19 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी।